विनिर्दिष्ट प्राधिकारी / जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर के समक्ष

प्रकरण क्रमांक 0006 /B-121/ 2026-27 / 2026

आवेदक :

विनय दुबे, पिता स्वर्गीय एस.एन. दुबे,
आयु लगभग 45 वर्ष,
निवासी – मकान नं. 1645, गंगानगर, गढ़ा, जबलपुर।

विरुद्ध

अनावेदकगण :

1. कैलाश अग्रवाल,
   मालिक/प्रबंध निदेशक, दैनिक भास्कर प्रेस, जबलपुर,
   निवासी – लियोनार्ड स्कूल के पास, डायस कंपाउंड, सिविल लाइंस, जबलपुर।
2. गिरीश पाण्डेय, पिता स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद पाण्डेय,
   न्यूज़ एडिटर, दैनिक भास्कर प्रेस, जबलपुर,
   निवासी – जॉय स्कूल के पास, विजय नगर, जबलपुर।
3. दैनिक भास्कर प्रेस, अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, सिविक सेंटर, जबलपुर।

प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 6(सी) के अंतर्गत समाचार पत्र का पंजीयन निरस्त किए जाने हेतु आवेदन

1. यह कि आवेदक जबलपुर का एक प्रतिष्ठित नागरिक है तथा समाज में अत्यधिक सम्मानित है। आवेदक एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं सफल व्यवसायी है तथा जबलपुर में निर्माण एवं भूमि विकास का कार्य करता है। विगत वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न संलग्नक A/1 के रूप में संलग्न है।
2. यह कि आवेदक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा संपत्ति व्यवसाय से जुड़ा हुआ है।
3. यह कि अनावेदक क्रमांक 1 दैनिक भास्कर समाचार पत्र का मालिक/निदेशक है तथा दैनिक भास्कर, जबलपुर में प्रकाशित समाचारों के प्रकाशन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है।
4. यह कि अनावेदक क्रमांक 2 गिरीश पाण्डेय दैनिक भास्कर प्रेस में न्यूज़ एडिटर है तथा पूर्व में आवेदक का साझेदार था, किन्तु कुछ विवाद के कारण उसे फर्म से निष्कासित कर दिया गया।

इसी कारण अनावेदक क्रमांक 2 आवेदक के प्रति द्वेष रखता है तथा अनावेदक क्रमांक 1 के साथ मिलीभगत कर आवेदक की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठी खबरें प्रकाशित कर रहा है।

5. यह कि दिनांक 23/05/2026 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में आवेदक को बदनाम करने एवं उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से झूठी एवं मनगढ़ंत खबर प्रकाशित की गई, जबकि आवेदक का भगवान बाल मुकुंद जी महाराज ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। उक्त समाचार बिना किसी दस्तावेजी आधार के प्रकाशित किया गया तथा यह केवल गिरीश पाण्डेय द्वारा पूर्व शत्रुता के कारण प्रकाशित कराया गया।

6. यह कि आवेदक द्वारा गिरीश पाण्डेय के विरुद्ध ₹1,01,00,000/- की वसूली हेतु अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जबलपुर की न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत किया जा चुका है, जो वर्तमान में लंबित है। इसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण झूठी खबर प्रकाशित की गई, जबकि आवेदक का किसी निजी ट्रस्ट की भूमि विक्रय से कोई संबंध नहीं है। अतः गिरीश पाण्डेय का कृत्य दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक एवं असत्य है। वाद पत्र की प्रति संलग्नक A/2 के रूप में संलग्न है।

7. यह कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2, एम.एस. के.वी. डेवलपर्स में साझेदार थे। अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उसे फर्म से हटा दिया गया था तथा इसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित की गई थी। सूचना एवं समाचार पत्र की प्रति संलग्नक A/3 एवं A/4 के रूप में संलग्न है।

8. यह कि उक्त समाचार व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रसारित किया गया, जिसके कारण अनेक शुभचिंतकों ने आवेदक से फोन पर संपर्क किया। समाचार के प्रकाशन एवं प्रसारण से समाज में आवेदक की छवि धूमिल हुई, जबकि आवेदक का उक्त ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। यह समाचार गिरीश पाण्डेय द्वारा व्यक्तिगत शत्रुता के कारण, कैलाश अग्रवाल के साथ मिलीभगत कर प्रकाशित कराया गया।

9. यह कि दैनिक भास्कर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नियमों एवं दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तथा झूठी खबरें प्रकाशित कर जबलपुर के नागरिकों को ब्लैकमेल कर रहा है। अनावेदकगण द्वारा आवेदक को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से बिना सत्यापन एवं बिना दस्तावेजों के समाचार प्रकाशित किए गए। प्रबंध निदेशक का कर्तव्य था कि समाचार का सत्यापन करें, किन्तु दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से ऐसा नहीं किया गया तथा आवेदक पर दीवानी वाद वापस लेने का दबाव बनाने हेतु षड्यंत्रपूर्वक कार्य किया गया। अतः अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 का लाइसेंस निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

10. यह कि दिनांक 23/05/2026 को समाचार प्रकाशित होने के तुरंत बाद आवेदक द्वारा अनावेदकगण को नोटिस भेजा गया, किन्तु इसके बावजूद 24/05/2026 को पुनः आवेदक के विरुद्ध मानहानिकारक समाचार प्रकाशित किया गया, जबकि आवेदक का ट्रस्ट की भूमि से

कोई संबंध नहीं है। दिनांक 23/05/2026 एवं 24/05/2026 के समाचार तथा नोटिस की प्रतियाँ संलग्नक A/5, A/6 एवं A/7 के रूप में संलग्न हैं।

11. यह कि आवेदक द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध आपराधिक शिकायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी दिनांक 03/06/2026 को पुनः झूठा समाचार प्रकाशित किया गया, जबकि आवेदक का बालमुकुंद दास जी ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। अतः अनावेदक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक है।
12. यह कि आवेदक की फर्म द्वारा शाह बानो खानम एवं शाह नवाज़ निलोफर के विरुद्ध मौजा शुभाष नगर, जहांगीराबाद, जबलपुर स्थित संपत्ति के संबंध में विशिष्ट पालन हेतु दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दैनिक भास्कर के मालिक की भी रुचि है। इसी कारण आवेदक पर दबाव बनाने हेतु झूठी एवं मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित की गईं। अतः अनावेदक पंजीयन की शर्तों के विपरीत कार्य कर रहे हैं।
13. यह कि अनावेदकगण ने आपराधिक मंशा से योजनाबद्ध तरीके से झूठी खबरें प्रकाशित कीं, जबकि उन्हें पूर्ण ज्ञान था कि समाचार असत्य हैं। यह सब केवल आवेदक की प्रतिष्ठा धूमिल करने हेतु किया गया। अतः उनका घोषणा-पत्र एवं पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।
14. यह कि अनावेदकगण ने पेशेवर ईर्ष्या के कारण दैनिक भास्कर समाचार पत्र में आवेदक के विरुद्ध अपमानजनक एवं मानहानिकारक टिप्पणियाँ जानबूझकर प्रकाशित कीं, जबकि आवेदक एक सफल व्यवसायी है। अतः उनका पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक है।
15. यह कि अनावेदकगण ने संचार माध्यमों का उपयोग कर झूठी एवं भ्रामक जानकारी प्रसारित की, जिससे आवेदक को हानि, असुविधा, अपमान एवं मानसिक कष्ट हुआ। यह कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उनका पंजीयन निरस्त किया जाना न्यायोचित है।
16. यह कि उक्त निराधार एवं दुर्भावनापूर्ण आरोपों के कारण आवेदक को मानसिक पीड़ा, प्रताड़ना एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है तथा वह निरंतर मानसिक तनाव झेल रहा है। अतः अनावेदकगण का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक है।
17. यह कि आवेदक एक सफल व्यवसायी है तथा झूठे एवं मानहानिकारक आरोपों के कारण उसके व्यवसाय में भारी क्षति हुई है। बिना किसी साक्ष्य के झूठे समाचार प्रकाशित कर आवेदक की छवि खराब की गई है। अतः अनावेदकगण का पंजीयन निरस्त किया जाना चाहिए।
18. यह कि अनावेदकगण ने जानबूझकर झूठी खबरें प्रकाशित कर आवेदक की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाई तथा अपने समाचार पत्र का दुरुपयोग किया, जो प्रेस की मूल नैतिकता एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के मानकों के विरुद्ध है। अतः उनका पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक है।
19. यह कि बार-बार इस प्रकार की खबरों का प्रकाशन निरंतर उत्पीड़न एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रदत्त प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है।

प्रार्थना

अतः माननीय प्राधिकारी से विनम्र प्रार्थना है कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा झूठी खबरें प्रकाशित कर आवेदक को ब्लैकमेल करने के कारण उसका पंजीयन/रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कृपा करें।

जबलपुर
दिनांक : 8/6/26

Adv. Raunak Yadav.
अधिवक्ता
आवेदक की ओर से अधिवक्ता